

# न्यायालय आर्बिट्रेटर जिला कलक्टर, शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 28/2024 फोरलेन

## उनवान

- श्री प्रभु मुतबन्ना रामचन्द्र मीणा निवासी भनाम 1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर जिला शाहपुरा।
- भवानीपुरा पोस्ट सरसिया तहसील 2. परियोजना निदेशक (एन.एच.ए. आई.) कार्यान्वयन इकाई सवाईमाधोपुर।

—प्रार्थीगण

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरुद्ध अवार्ड सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) जहाजपुर प्रकरण संख्या 26, 29/96/148-डी/385 प्रतिकर निर्धारण दिनांक 01.08.2017

- उपस्थित :-
1. श्री राकेश कुमार मीणा, अधिवक्ता : प्रार्थी की ओर से
  2. श्री अभिनव जैन, अधिवक्ता : विपक्षी संख्या 2 की ओर से।
  3. विपक्षी संख्या 01 की ओर से विभागीय परोकार।



## निर्णय

दिनांक 31-5-2024

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 26, 29/96/148-डी/385 प्रतिकर निर्धारण दिनांक 01.08.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 355, 362 वाके भवानीपुरा तहसील जहाजपुर में अवस्थित चली आ रही है जिसमें से क्रमशः 0.023 एवं 0.009 हैक्टर चाही भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 148 डी गुलाबपुरा उनियारा के निर्माण/चौड़ा करने हेतु अवाप्त की गयी। जिसके संबंध में विपक्षी संख्या 1 द्वारा जो अवार्ड दिनांक 01.08.2017 को पारित किया गया, वह विधि के तहत उचित नहीं है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा पारित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (The right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013) जिसे आगे सुविधा की दृष्टि से Rfctarr Act 2013 से सम्बोधित किया जायेगा, को दिनांक 01 जनवरी, 2015 से लागू किया गया है जिसके अनुसार अधिनियम की अनुसूची प्रथम, द्वितीय, तृतीय के अनुसार प्रार्थी भी मुआवजा राशि प्राप्त करने का प्रार्थी कानूनन अधिकारी है। इसी गुलाबपुरा उनियारा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा वर्तमान जिला शाहपुरा एवं तहसील व जिला बूंदी में अवस्थित भूमि को भी अवाप्त किया गया और उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा / अवार्ड Rfctarr Act 2013 के तहत विपक्षी संख्या 2 द्वारा दिये गये हैं, जबकि प्रार्थी की अवाप्तशुदा आराजियात के

जिला कलक्टर  
(ऑफीट्रेटर)  
शाहपुरा

एवज में Rfctlarr Act 2013 के तहत मुआवजा राशि की गणना ही नहीं की गई। एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु अवाप्त भूमि के मुआवजे हेतु दो मापदण्ड विधि के तहत प्रयोग में नहीं लिये जा सकते हैं ऐसा करना संवैधानिक मूल अधिकारों के भी सर्वथा विपरीत है। अवाप्तशुदा भूमि से लगी हुई अन्य आराजियात एवं आसपास की आराजियात की मार्केट वैल्यू 40 लाख रुपये प्रति बीघा से भी अधिक की है अर्थात् एक हेक्टेयर जिसमें लगभग 04 बीघा से अधिक की भूमि आती है, उसकी मार्केट वैल्यू लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपये की होती है। इतना ही नहीं, डी.एल.सी. रेट भी 13 लाख रुपये प्रति बीघा से अधिक की है। अवाप्तशुदा आराजियात से लगी हुई इसी किस्म एवं क्षेत्र की आराजियात के सौदे लगभग 40 लाख रुपये बीघा से अधिक दर से किये जा रहे हैं तो फिर अवाप्तशुदा भूमि की डी.एल.सी. दर अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी ने 31,62,949/- रुपये प्रति हेक्टेयर कायम करते हुए जो अवार्ड पारित किया है वह सर्वथा गलत होकर बहुत कम है, इस आधार पर भी पारित अवार्ड काविल अपास्तगी के होकर प्रार्थी मार्केट वैल्यू के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है।

2. प्रार्थी ने आगे अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि Rfctlarr Act 2013 के तहत अवाप्तशुदा आराजियात के संबंध में प्रतिकर राशि मार्केट वैल्यू से दुगुनी राशि दिलाये जाने का प्रावधान है, किन्तु अधीनस्थ अवाप्ति अधिकारी ने तदनुसार कोई किसी प्रकार की प्रतिकर राशि आलोच्य अवार्ड द्वारा प्रार्थी को नहीं दिलायी गयी है अर्थात् Rfctlarr Act 2013 के तहत अवाप्तशुदा आराजियात पर प्रतिकर की राशि की गणना न कर तुच्छ राशि प्रतिकर के रूप में अधीनस्थ अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि के एवज में दिलाये जाने का जो आदेश पारित किया गया है वह सर्वथा गलत एवं कम होकर विधि के विपरीत होने से आलोच्य निर्णय एवं अवार्ड काविल अपास्तगी के होकर प्रार्थी Rfctlarr Act 2013 के तहत अवाप्तशुदा आराजियात का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा आलोच्य अवार्ड की पालना में राशि अवश्य प्राप्त की गयी किन्तु प्रार्थी ने अपने Rfctlarr Act 2013 के तहत बनने वाली मुआवजा राशि के हकों एवं अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उक्त राशि प्राप्त की है, अर्थात् कोई अभित्यजन प्रार्थी द्वारा Rfctlarr Act 2013 के तहत बनने वाली प्रतिकर राशि के संबंध में अपने हकों एवं अधिकारों का नहीं किया है, प्रार्थी अवार्ड दिनांक 01.08.2017 के आधार पर प्राप्त राशि को Rfctlarr Act 2013 के तहत बनने वाली राशि में समायोजित कराने को तैयार है, इस कारण Rfctlarr Act 2013 के तहत अवाप्तशुदा आराजियात का प्रतिकर की बनने वाली राशि में से उक्त अवार्ड के तहत प्रार्थी द्वारा प्राप्त की गयी राशि को समायोजित करते हुए शेष राशि प्रार्थी को दिलाया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत होगा। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमा पारित आलोच्य अवार्ड दिनांक 01.08.2017 को अपास्त करते हुये उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा Rfctlarr Act 2013 के प्रावधानों के तहत जो भी प्रतिकर राशि बनती है जिसमें से पूर्व प्राप्त राशि को समायोजित करते हुये शेष राशि प्रार्थी को दिलाये जाने बावत् अवार्ड जारी फरमाया जावे।

3. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा में दिनांक 28.02.2022 को दायर की जाकर दिनांक 22.02.2024 को प्रकरण स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने से प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उभयपक्षों को नोटिस जारी किये गए। उभयपक्षों की ओर से

अभिधक्ता गण द्वारा अधिकार पत्र पेश किये गये।  
जिला कलक्टर  
(ऑर्वाट्रेटर)  
शाहपुरा

4. विपक्षी संख्या 02 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया है कि धारा 03(डी)(1) के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन के पश्चात् समस्त अधिगृहित भूमि केन्द्र सरकार में निहित हो जाती है जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है तथा उक्त अर्वाड पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदार अथवा हितधारी व्यक्तियों को मुआवजा के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु एक सार्वजनिक नोटिस दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि के तहत सही मुआवजा राशि प्रतिकर के रूप में निर्धारण की गयी है जिसमें कोई किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है तथा धारा 03 एच (1) के तहत अर्वाड राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करवा दिया गया है, तो फिर प्रार्थी Rfctlarr Act 2013 के तहत कोई किसी प्रकार की प्रतिकर की राशि अवाप्तशुदा भूमि के एवज में प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। साथ ही अधिवक्ता प्राथी एवं अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02 द्वारा प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।



जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148डी के लिए अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा नया कानून भूमि अर्जन, पूर्णवासन एवं पूर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के लागू होने के काफी समय बाद दिया गया लेकिन जानबुझकर विपक्षीगण ने मुआवजा पुराने अधिनियम के अनुसार ही दिया जबकि काश्तकारों को मुआवजा अर्वाड जारी किये जाते समय उक्त नया अधिनियम पूर्णरूप से लागू हो चुका था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148डी के लिए गुलाबपुरा उनियारा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा वर्तमान जिला शाहपुरा एवं तहसील व जिला बूंदी में अवस्थित भूमि को भी अवाप्त किया गया और उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा नये अधिनियम के तहत विपक्षी संख्या 02 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिये गये। इस प्रकार एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे हेतु दो मापदण्ड विधि के तहत प्रयोग में नहीं लिए जा सकते हैं। ऐसा करना संवैधानिक अधिकारों के भी विपरीत है। निर्विवाद रूप से प्रार्थी को अर्वाड राशि का कोई भुगतान दिनांक 31.12.2014 से पूर्व नहीं हुआ है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 02 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने सम्पूर्ण जवाब प्रार्थना में वर्णन किया कि उनके द्वारा भुगतान जून 2014 में जमा करा दिया गया था लेकिन भुगतान जमा होने की कोई जानकारी किसानों को नहीं दी गई।

6. अधिवक्ता प्रार्थी ने आगे अपनी बहस में बताया किया कि यदि मान भी लिया जाये कि विपक्षी संख्या 02 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कोई राशि जून 2014 में जमा भी कराई है जो प्रथम तो उसकी कोई जानकारी संबंधित किसान को नहीं दी है। कानून के प्रावधानों अनुसार जब तक मुआवजा राशि हेतु संबंधित किसान को वितरित किये जाने हेतु आदेश पारित नहीं हो जाते हैं तब तक तत्समय विधि अनुसार लागू कानून प्रभावी होगा। इस प्रकरण में नये अधिनियम के प्रभावी होने के भी बाद किसानों को भुगतान हेतु आदेश/अर्वाड जारी किये जाने से संबंधित किसान को मुआवजा राशि वितरित किये जाने हेतु नये अधिनियम के सभी प्रावधान

जिला कलक्टर  
(ऑर्बीट्रेटर)  
शाहपुरा

लागू होते हैं। विधि के प्रावधानुसार तब तक अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं मानी जा सकती है जब तक कि अवाप्तशुदा भूमि विपक्षी संख्या 02 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हो जाती है। संबंधित किसान को राशि वितरित किये जाने हेतु जारी आदेश/अवार्ड की दिनांक से ही किसानों की भूमि जो अवाप्त की गई है वह विपक्षी संख्या 02 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि अवाप्तशुदा भूमि बाबत मुआवजा राशि वितरण आदेश/अवार्ड की दिनांक से ही अवाप्तशुदा भूमि विपक्षी संख्या 02 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है जो नया कानून प्रभावी होने के उपरांत हुई है।

7. आगे प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उक्त अनवान प्रकरण जैसे ही समान तथ्यों के इसी राजमार्ग में जहाजपुर तहसील के एक अन्य किसान श्री गोपाल लाल मीणा को मुआवजा पुराने अधिनियमों के तहत दिया। जिसके विरुद्ध श्री गोपाल लाल मीणा ने न्यायालय आर्बिट्रेटर जिला कलेक्टर भीलवाड़ा के समक्ष प्रार्थना पर प्रस्तुत किया जिसमें भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के निर्णय को पलट कर मुआवजा पुनः निर्धारण हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया, उक्त फैसले की प्रति साथ में प्रस्तुत है। उक्त फैसले की अपील विपक्षी संख्या 02 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा श्रीमान जिला न्यायालय भीलवाड़ा के यहाँ प्रस्तुत की जो कालान्तर में अतिरिक्त जिला न्यायालय शाहपुरा में हस्तांतरित होकर सुनवाई की गई जहाँ पर भी विपक्षी की अपील यह कहते हुए खारिज की गई कि इस प्रकरण में किसान नये अधिनियमों के तहत मुआवजा पाने के अधिकारी थे। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की ओर से निम्न नजीरें सादर पेश किये गए :- 1. Sita Ram VS State of Rajasthan उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच ने कहा है कि: प्रकरण में नया अधिनियम भूमि अर्जन, पूर्णवासन एवं पूर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजा राशि निर्धारण करने हेतु सुसंगत तारीख 01.01.2014 होगी। 2. Ratan Badola VS Union of India उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने कहा है कि- लाभार्थियों के खाते में दिनांक 31.12.2014 या उसके पूर्व राशि जमा नहीं कराई है। निर्णित आदेश अपास्त किया गया तथा किसानों को नये कानून भूमि अर्जन, पूर्णवासन एवं पूर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजा राशि निर्धारण करने का आदेश पारित किया गया। 3. Jaswant Singh VS Land Acquisition Officer उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच ने कहा है कि: भूमि अवाप्त की घोषणा दिनांक 14.03.2013 को प्रकाशित की किन्तु प्रतिकर की राशि 2013 का नया कानून के प्राभाव में आने के बाद दिनांक 13.08.2015 को जमा कराई अवार्ड दिनांक 06.09.2013 को पारित किया गया जिसे अपास्त किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 02 द्वारा कोई राशि का भुगतान किसानों को नया अधिनियम भूमि अर्जन, पूर्णवासन एवं पूर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के लागू होने से पूर्व नहीं किया है जिस कारण प्रार्थी उक्त नये कानून के प्रावधानों अनुसार बाजार दर से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।



*[Handwritten signature]*

जिला कलेक्टर  
(ऑर्बिट्रेटर)  
शाहपुरा

8. इसके विपरीत विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में पूर्व में पारित अवार्ड को विधिवत् होना बताते हुए भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार

नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148-डी के 27/115 कि.मी. से 72/175 कि.मी. (राज्य राजमार्ग-39) तक के भूखण्ड (गुलावपुरा-उनियारा सेक्शन) के निर्माण (पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(अ) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोजन करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना का.आ. 213 (अ) दिनांक 19.01.2013 जिसका प्रकाशन राजस्थान राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में दिनांक 08.03.2013 को किया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 डी के गुलावपुरा-उनियारा खण्ड के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन का.आ. 2739 (अ) दिनांक 11.09.2013 को जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर द्वारा तहसील जहाजपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की अवाप्ताधीन भूमि का 3-जी अवार्ड क्रमांक/भूमि अवाप्ति/2014/722 दिनांक 20.06.2014 को जारी करते हुए, अप्रार्थी संख्या 2 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इकाई, भीलवाड़ा को प्रेषित किया गया, जिसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा दिनांक 30.06.2014 के माध्यम से अनुमोदन प्रदान कर तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 20.06.2014 के अनुसरण में अवाप्तशुदा भूमि की कुल मुआवजा राशि 20,30,46,892/- (अक्षरे बीस करोड तीस लाख छियालीस हजार आठ सौ बियानवे) रुपये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सक्षम प्राधिकारी के संयुक्त खाते में दिनांक 18.09.2014 को जमा करवा दी गई। अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 01.08.2017 को कोई भी अवार्ड उक्त अवाप्ति के सम्बन्ध में पारित नहीं किया गया। प्रार्थी नये भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत कोई भी मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को अध्यादेश सं. 9/2014 पारित किया गया जिसके तहत धारा 105 (3) को सबस्टीट्यूट किया गया एवं भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रथम, द्वितीय व तृतीय शेड्यूल में भूमि अवाप्ति के मुआवजे से सम्बन्धित कानून को उक्त अधिनियम के चतुर्थ शेड्यूल में वर्णित अधिनियमों पर दिनांक 01.01.2015 से प्रभावी किया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भूमि अवाप्ति पर अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। प्रार्थी किसी कदर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

9. उभयपक्ष की लिखित बहस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं नजीरों का गहनता व सूक्ष्मता से अवलोकन एवं विश्लेषण किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अवार्ड की तारीख कौनसी है जाहिर हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 20.06.2014 के अनुसरण में अवाप्तशुदा भूमि की कुल मुआवजा राशि 20,30,46,892/- (अक्षरे बीस करोड तीस लाख छियालीस हजार आठ सौ बियानवे) रुपये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सक्षम प्राधिकारी के संयुक्त खाते में दिनांक 18.09.2014 को जमा करवा दी गई, उसकी कोई जानकारी संबंधित



जिला कलेक्टर  
(ऑर्वाइटेड)  
शाहपुरा

किसान को नहीं दी गई। दिनांक 01.08.2017 को जारी अवार्ड/आदेश अवाप्त भूमि का मुआवजा वितरण एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम भूमि दर्ज करने का आदेश है। जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 01.08.2017 को अवाप्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम दर्ज हुई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों से भी स्पष्ट है कि लाभार्थियों के खाते में दिनांक 31.12.2014 के बाद मुआवजा राशि जमा कराई जाती है तो वह Rfctlarr Act 2013 तक तहत होनी चाहिए। दिनांक 01.01.2015 को Rfctlarr Act 2013 प्रभावी हो गया था और उसकी धारा 24 (2) यह प्रावधान करती है कि 24(2) Not with standing anything contained in sub-section (1). in case of land acquisition proceedings initiated under the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894). where an award under the said Section 11 has been made five years or more prior to the commencement of this Act but the physical possession of the land has not been taken or the compensation has not been paid the said proceedings shall be deemed to have lapsed and the appropriate Government, if it so choose, shall initiate the proceedings of such land acquisition afresh in accordance with the provisions of this Act : Provided that where an award has been made and compensation in respect of majority of land holdings has not been deposited in the account of the beneficiaries, then, all beneficiaries specified in the notification for acquisition under Section 4 of the said Land Acquisition Act, shall be entitled to compensation in accordance with the provisions of this Act. उक्त परिपेक्ष्य में मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया है तो फिर प्रार्थी Rfctlarr Act 2013 के तहत अवाप्तशुदा भूमि का प्रतिकर प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी हो जाता है।



10. सक्षम प्राधिकारी शाहपुरा एवं सक्षम प्राधिकारी बून्दी द्वारा पारित अवार्ड इसी प्रकार मुआवजा-उनियारा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा/प्रतिकर की राशि Rfctlarr Act 2013 के तहत तय करते हुए अवार्ड जारी किये गये हैं और निर्विवाद रूप से उक्त प्रकरण में भी इसी राजमार्ग के संबंध में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर से संबंधित मामला है, तो फिर एक ही विषयवस्तु बाबत दो भिन्न मापदण्ड कदापि उचित नहीं हो सकते हैं, न विधि इसकी इजाजत देती है। इस प्रकार प्रार्थीगण भी उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा Rfctlarr Act 2013 के तहत प्राप्त करने का विधि के तहत अधिकारी है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव

## आदेश


11. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 (जी)(5) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर द्वारा पारित अवार्ड प्रकरण संख्या के प्रकरण संख्या 26, 29/96/148-डी/385 प्रतिकर निर्धारण दिनांक 01.08.2017 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को Rfctlarr Act 2013 (The right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act, 2013) के तहत प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का प्रतिकर तय कर भुगतान करने के संबंध में उभयपक्षों की सुनवाई कर पुनः नियमानुसार अवार्ड पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते

जिला कलेक्टर  
(ऑर्बीट्रेटर)  
शाहपुरा

हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर को प्रेषित की जावे।

12. निर्णय दिनांक 31.5.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(राजेन्द्र सिंह शेखावत )  
जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर)  
जिला कलेक्टर  
(आर्बिट्रेटर)  
शाहपुरा  
शाहपुरा